न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/2520

1—शुभम भारती पिता ओम भारती आयु—24 वर्ष धंधा — पुजन अर्चन निवासी—109, नामदारपुरा उज्जैन म0प्र0

2—महेन्द्र भारती पिता गणेश भारती आयु—47 वर्ष धंधा— पुजन अर्चन निवासी— इन्द्रा नगर आगर रोड उज्जैन

3—शैलेन्द्र शर्मा पिता ओमप्रकाश जी शर्मा आयु— 32 वर्ष धंधा— पुजन अर्चन निवासी— दुर्गा कालोनी उज्जैन म0प्र0 ----- आवेदकगण

विरूद्व

1—श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन

2—अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग घटिया तहसील घटिया जिला उज्जैन

3—श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील घटिया जिला उज्जैन --- अनोवदकगण

श्री मनोज राठौर अधि. द्वारा आज दि. 3.8.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3.8.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय घटिया जिला उज्जैन के प्रकरण कमांक 5/पु0नि0/2015—16 मे पारित आदेश दिनाक 26/7/2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ।</u>

माननीय महोदय, <u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य</u>

आवेदकगण की और से निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है:—

1— यह कि आवेदकगण मंगलनाथ मंदिर परिसर मे स्थित शासकीय मंदिर हनुमान मंदिर पर शुभम भारती , महादेव मंदिर पर महेन्द्र भारती व गणेश मंदिर पर शैलेष शर्मा विधिवत रूप से पुजारी नियुक्त किये गये है तथा जिनकी नियुक्ति वर्ष 2014—15 मे ही अनोवदक कमाक 2 के पूर्व पीठासीन अधिकारी महोदय

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/2520

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	